जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 केस सं0—05/16—17

राज्य —बनाम— राजीव राम

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांकः—687/डी0सी0बी0, दिनांकः—09/05/2016 द्वारा अपराधकर्मी राजीव राम, पे0—नागेश्वर राम, सा0—भाटिया बस्ती प्रतिमा नगर, गैस गोदाम के पास, थाना—कदमा, जिला—पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा—3(3)(a) के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में 1. कदमा थाना काण्ड सं0—57/15, दिनांकः—01.05.15, धारा—342/353/147/149/427 भा0द0वि0, 2. कदमा थाना काण्ड सं0—65/15, दिनांकः—22.05.07,धारा—452/341/323/427/365/379/442/506/34 भा0द0वि0, 3. कदमा थाना काण्ड सं0—66/15, दिनांकः— 25.09.07, धारा—353/224/225/323/506/34 भा0द0वि0, 4. कदमा थाना काण्ड सं0—211/15, दिनांक—26.09.15, धारा—341/323/307/ 385/387/34 भा0द0वि0 एवं 5.कदमा थाना काण्ड सं0—09/16, दिनांक—10.01.16, धारा—147/323/364/511/385/387 भा0द0वि0 दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी जमशेदपुर शहर एवं आस—पास के क्षेत्रों में अपने नाम का भय फैला रखा है तथा इन दिनों इनका आतंक पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अपराधकर्मी राजीव राम एक कुख्यात एवं पेशेवर अपराधकर्मी है। जिसके अपराधिक गतिविधि के कारण शहर की लोक व्यवस्था अस्त—व्यस्त हो गयी है। इनके द्वारा अवैध पिस्तौल छुपाकर रखना, अवैध आग्नेयास्त्र एवं कारतुस के साथ पकड़े जाना, प्राण घातक हमला करना, दूकान पर जा कर रिवाल्वर सटाकर फायर करना व मारपीट कर पैसा लेना जान मारने की नियत से गोली मारकर जख्मी करना इनका पेशा बन गया है। साथ ही भय दिखाकर रंगदारी की मांग करते है। ये अखिलेश सिंह गुट के सक्रिय सदस्य है तथा अखिलेश गिरोह के साथ मिलकर हत्या, रंगदारी एवं अपहरण जैसे कांडों में शामिल रहते है। जब तक ये न्यायिक हिरासत (जेल) में रहें, तब तक इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा—3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया। राजीव राम नोटिस प्राप्त करने के उपरांत न्यायालय में कारणपृच्छा दायर नहीं किया गया जबकि इस हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। स्पष्ट है कि इनके द्वारा कारित अपराध भा0द0सं0 के चैप्टर XVI एवं चैप्टर	

XVII की श्रेणी के हैं जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 2(d) के तहत् इनके असामाजिक तत्व होने का द्योतक है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अनेकों अपराध कार्य किये गये हैं एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभावना है।

अतः वरीय आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित अपराधकर्मी राजीव राम, पे0–नागेश्वर राम, सा0–भाटिया बस्ती प्रतिमा नगर, गैस गोदाम के पास, थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को इस जिले से निष्कासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 3 (3)(a) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी राजीव राम, पे0–नागेश्वर राम, सा0–भाटिया बस्ती प्रतिमा नगर, गैस गोदाम के पास, थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को दिनांकः–01.08.2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–31.01.2017 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0–25,000.00 का बंधपत्र (with two surities) दिनांकः–31.07.2016 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांकः–01.08.2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–31.01.2017 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी राजीव राम झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति राजीव राम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

C vide memo no. 1376(B)/L 25/07/16 Bond filed 30/07/16

(लेखापित)
Amit K 25.7.16
जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Amit K 25.7.16
जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।